28.11.24 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी वकील उप.।
विप्रार्थीगण के तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस की पावती प्राप्त एवं ... तामील नोटिस की प्रतिलिपि पर तामील हो गयी
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र पेश करने से पत्रावली सुनवाई हेतु तारीख 12.12.24 को पेश हो

(हस्ताक्षर) 28/11

12.12.24 पत्रावली पेश हुई
प्रार्थी वकील उप.।
विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु अवसर ... पत्रावली तारीख 9.1.25 को पेश हो

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

9.1.2025 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्तें आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का राजस्व वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 09.01.2024 को सुनवाई हेतु नियत थी। प्रार्थीगण मुझ अधिवक्ता द्वारा वादी को बताया गया कि वाद पत्र में जब भी वादी की आवश्यकता होगी तब वादी को बुला लिया जावेगा। जिस पर वादी अधिवक्ता के विश्वास पर रह गया। वादी अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने एवं पेशी से वादी को अवगत नहीं कराये जाने पर न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 09.01.2024 को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पेश किया गया।, इस प्रकार उक्त वाद गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए पुनः बरामद योग्य है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें ।

हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 09.01.2024 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थीगण का आवेदन अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से आवेदन को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि प्रार्थीगण आवेदन पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 09.01.2024 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिंघरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner